

प्रेषक,

उमेश चन्द्र पाण्डे-II,
विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट,
बाराबंकी।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा: श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
बाराबंकी।

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 से सम्बन्धित सम्पत्ति विवरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि उक्त वित्तीय वर्षों की वेतन से प्राप्त सकल आय रूपये 31,90,743/- तथा पिताजी के देहान्त के पश्चात उनके द्वारा निवेशित धनराशि से प्राप्त रूपये 7,95,588/- को मिलाकर मेरी कुल प्राप्ति रूपये 39,86,331/- थी। जिसके सापेक्ष जी०पी०एफ०, जी०आई०एस०, आय कर, गृह ऋण, कार ऋण, पी०पी०एफ० व बीमा पालिसी के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि त्रुटिवश पी०पी०एफ० खाते में वार्षिक अंशदान तथा गृह ऋण, कार ऋण की मासिक किश्तों का उल्लेख उक्त विवरण में किये जाने से छूट गया था।

वित्तीय वर्षों 2016-17 तथा 2017-18 में पी०पी०एफ० में वेतन से किये गये वार्षिक अंशदान रूपये 150,000/- तथा गृह ऋण के मद में रूपये 38,000/- मासिक किश्तें और कार ऋण के मद में रूपये 10,101/- मासिक किश्तें अदा की गई थीं। पी०पी०एफ० खाते की धनराशि में अतिरिक्त बढ़ोत्तरी पिछले वर्षों में सीमित जमा धनराशि से प्राप्त ब्याज सहित मूलधन की है।

तदनुसार मेरे द्वारा वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में पी०पी०एफ० व एल०आई०सी० के मद में कुल धनराशि जो वेतन से जमा की गयी रूपये (1,50,000 + 21,900 + 1,50,000 + 21,900) कुल 3,43,800/- रूपये थी और गृह ऋण के मद में जमा धनराशि 38000/- रूपये मासिक के हिसाब से कुल द्विवार्षिक 9,12,000/- रूपये तथा कार ऋण के मद में कुल द्विवार्षिक 2,42,424/- रूपये थी। स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के उल्लिखित बचत खातों में भी ब्याज सहित बढ़ोत्तरी दोनों वर्षों के दौरान मात्र 10,89,211/- रूपये थी। जी०पी०एफ०, जी०आई०एस० व आयकर के मद में मेरे द्वारा किया गया कुल अंशदान 7,24,407/- रूपये था।

तदनुसार पी०पी०एफ०, एल०आई०सी०, गृह ऋण, कार ऋण, जी०पी०एफ०, जी०आई०एस० व आयकर तथा ब्याज सहित बचत खातों में जमा धनराशि को मिलकर कुल अंशदान 33,11,842/- रूपये का था। मेरे द्वारा उक्त दोनों वर्षों में प्राप्त होने कुल धनराशि 39,86,331/- रूपये थी। इस प्रकार उक्त वर्षों में मेरे द्वारा किए गये निवेश, गृह व कार ऋण व आयकर की अदायगी के बावजूद लगभग 6,74,489/- रूपये घरेलू मद में व्यय के लिए उपलब्ध थे। मेरी बचत व खर्चे आय से अधिक नहीं हैं और मेरा छोटा परिवार व संयमित जीवन है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि मेरे पिताजी केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण नयी

2.

दिल्ली से अवकाश प्राप्त बरिष्ठ पेंशन भोगी न्यायिक अधिकारी थे जो अपनी वृद्धावस्था के कारण मेरे साथ रहते थे तथा प्राकृतिक प्यार व स्नेह के कारण आर्थिक योगदान भी करते थे। जिनका देहान्त मेरे साथ रहने के दौरान 01.03.2016 को हो गया। मेरे गांव की पैत्रिक संयुक्त परिवार की कृषि भूमि पर खेती भी होती है जिसमें विभिन्न फसलें पैदा होती हैं जिससे अनाज , तिलहन आदि के साथ घरेलू खर्चों में अतिरिक्त सहयोग प्राप्त होता है। मेरे सादगीपूर्ण जीवन शैली के कारण अनावश्यक खर्चों की आदत नहीं है। मेरी आय की तुलना में खर्च अत्यन्त सीमित थे।

न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के उपरांत मिलने वाली सुविधाएं ईंधन प्रतिपूर्ति , जलपान व चिकित्सा भत्ता, समाचार पत्र, मोबाइल/ टेलीफोन सुविधा, विजली सब्सिडी, किराया मुक्त आवास आदि मिलते हैं। एल०एल०एम० की तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धियां तथा सम्पूर्ण एरियर भी प्राप्त हुआ है। अवकाश नकदीकरण व पोशाक भत्ता, स्थानान्तरण टी०ए० आदि के रूप में भी समय-समय पर नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई तथा जीवन बीमा में किये गये निवेश से भी समय-समय पर धन वापसी हुई जिसे पारिवारिक व व्यक्तिगत खर्चों में उपयोग किया गया अथवा निवेशित किया गया।

मेरे पिताजी का देहान्त हो जाने के कारण उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्तियों के विवरण उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण समय से सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली सम्पत्तियों के विवरण विभिन्न बैंक, योजनाओं में किए गए निवेशित धनराशि राजस्व कार्यालयों से अभिलेखों को प्राप्त करने में विलम्ब हुआ।


तदनुसार आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

सादर!

दिनांक: 08.11.2023

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,


(उमेश चन्द्र पाण्डे-II)

विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)

बाराबंकी।

वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान प्राप्तियाँ, निवेश और अंतर:-

वर्ष	बचत खातों में वार्षिक अन्तर	निवेश	ऋण अदायगी HL=House Loan CL=Car Loan	कटौतियाँ एवं आयकर IT=Income Tax
2016-17	Rs. 969869.00	PPF Rs. 150000.00 LIC Rs. 21900.00	HL38000x12 =Rs. 456000.00 CL-=10101x12 =Rs. 121212.00	GPF-Rs. 169778.00 GIS- Rs. 4800.00 IT- Rs. 172468.00 —
		योग- Rs. 171900.00	योग वार्षिक- Rs. 577212.00	योग - Rs. 347046.00
2017-18	Rs. 119342.00	PPF Rs. 150000.00 LIC Rs. 21900.00	HL38000x12= Rs. 456000.00 CL- 10101x12 =Rs. 121212.00	GPF- Rs. 197179.00 GIS- Rs. 4800.00 IT- Rs. 175378.00 —
		योग- Rs. 171900.00	योग वार्षिक- Rs. 577212.00	योग - Rs. 377357.00
	द्विवार्षिक योग- Rs. 1089211.00	द्विवार्षिक योग- Rs. 343800.00	द्विवार्षिक योग- Rs. 1154424.00	द्विवार्षिक योग- Rs. 724407.00

- द्विवार्षिक आय- Rs. 3190743.00
- मेरे पिता जी के देहांत उपरांत उनके द्वारा विभिन्न योजनाओं में निवेशित धनराशि से प्राप्त-
Rs. 463698.00 + Rs. 56703.00 + Rs. 75187.00 = Rs. 795588.00

कुल निवेश तथा अदायगियाँ-
Rs. 1089211.00 + Rs. 343800.00 + Rs. 1154424.00 + Rs. 724407.00 = Rs. 3311842.00

द्विवार्षिक आय सहित कुल प्राप्तियाँ- Rs. 3190743.00 + Rs. 795588.00 = Rs. 3986331.00
कुल निवेश तथा अदायगियाँ- Rs. (1089211.00 + 343800.00 + 1154424.00 + 724407.00) = Rs. 3319842.00
खर्च के मद में उपलब्ध धनराशि- Rs. 3986331.00 - Rs. 3319842.00 = Rs. 674489.00

Umesh Chandre Bunde

(उमेश चन्द्र पाण्डे)
विशेष न्यायाधीश(आ०व०अधि०),
बाराबंकी।